बिहार सरकार
समाहरणालय, लखीसराय
(जिला पंचायत शाखा)

Email : dpro-la-bih@nic.in
Fax : 06346-232767
Tel : 06346-232124

पत्रांक–................../पं0शा0, दिनांक–...............................

प्रेषक,

जिला पंचायत राज पदाधिकारी,
लखीसराय।

सेवा में,

सभी प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी,
लखीसराय जिला।

विषयः– पंचायत सरकार भवन में आधार (AADHAAR) सेवा प्रारंभ करने हेतु Internet के Technical Specification के संबंध में।

प्रसंगः– अपर सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक– 8075, दिनांक– 25.05.2026

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संबंध में कहना है कि राज्य सरकार द्वारा राज्य के सभी ग्राम पंचायतों में आधार (AADHAAR) सेवा उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है। प्रथम चरण में यह सेवा वैसे 2000 ग्राम पंचायतों में प्रारंभ कराया जाना है, जहाँ पंचायती राज विभाग द्वारा राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान योजना मद से कम्प्यूटर एवं प्रिंटर क्रय कर उपलब्ध कराया गया है। लखीसराय जिलान्तर्गत 14 (चौदह) ग्राम पंचायतों में आधार (AADHAAR) सेवा उपलब्ध कराया जाना है।

इस संबंध में सम्यक विचारोपरान्त दिनांक– 21.05.2026 से उन सभी पंचायत सरकार भवनों में आधार की सेवाएं प्रारंभ कराये जाने का निर्णय लिया गया है।

आधार की सवाएँ प्रदान करने हेतु ग्राम पंचायतों में उपलब्ध Computer में Internet/Ethernet की सुविधा होना अनिवार्य है। UIDAI के मानक के अनुसार Internet का Static Public IP उपलब्ध कराया जाना आवश्यक है। इस आलोक में अपने ISP (Internet Service Provider) से यह आश्वस्त हो लें कि उनके ग्राम पंचायत में उपलब्ध कराये जा रहे Interner Service में Static Public IP हो।

उक्त परिप्रेक्ष्य में निदेश दिया जाता है कि लखीसराय जिलान्तर्गत 14 क्रियाशील ग्राम पंचायतों में Statics Public IP उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय, ताकि आधार सेवा प्रदायगी में UIDAI के सभी तकनीकी मानकों का अनुपालन किया जा सके।

अनुलग्नकः– प्रासंगिक पत्र की प्रति।

विश्वासभाजन

ह0 –

जिला पंचायत राज पदाधिकारी,
लखीसराय।

ज्ञापांक–1123......./पं0शा0, दिनांक–01/06/20....

प्रतिलिपिः– संबंधित पंचायत सचिव/कार्यपालक सहायक/डाटा इन्ट्री ऑपरेटर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, लखीसराय जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– उप विकास आयुक्त, लखीसराय की सेवा में सादर सूचनार्थ समर्पित।

प्रतिलिपिः– जिला पदाधिकारी, लखीसराय की सेवा में सादर सूचनार्थ समर्पित।

जिला पंचायत राज पदाधिकारी,
लखीसराय।

बिहार सरकार
समाहरणालय, लखीसराय
(जिला पंचायत शाखा)

Email : dpro-la-bih@nic.in
Fax : 06346-232767
Tel : 06346-232124

पत्रांक– 1123 / पं०शा०, दिनांक– 01/06/26

प्रेषक,

जिला पंचायत राज पदाधिकारी,
लखीसराय।

सेवा में,

सभी प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी,
लखीसराय जिला।

विषयः– पंचायत सरकार भवन में आधार (AADHAAR) सेवा प्रारंभ करने हेतु Internet के Technical Specification के संबंध में।

प्रसंगः– अपर सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक– 8075, दिनांक– 25.05.2026

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संबंध में कहना है कि राज्य सरकार द्वारा राज्य के सभी ग्राम पंचायतों में आधार (AADHAAR) सेवा उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है। प्रथम चरण में यह सेवा वैसे 2000 ग्राम पंचायतों में प्रारंभ कराया जाना है, जहाँ पंचायती राज विभाग द्वारा राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान योजना मद से कम्प्यूटर एवं प्रिंटर क्रय कर उपलब्ध कराया गया है। लखीसराय जिलान्तर्गत 14 (चौदह) ग्राम पंचायतों में आधार (AADHAAR) सेवा उपलब्ध कराया जाना है।

इस संबंध में सम्यक विचारोपरान्त दिनांक– 21.05.2026 से उन सभी पंचायत सरकार भवनों में आधार की सेवाएं प्रारंभ कराये जाने का निर्णय लिया गया है।

आधार की सवाएँ प्रदान करने हेतु ग्राम पंचायतों में उपलब्ध Computer में Internet/Ethernet की सुविधा होना अनिवार्य है। UIDAI के मानक के अनुसार Internet का Static Public IP उपलब्ध कराया जाना आवश्यक है। इस आलोक में अपने ISP (Internet Service Provider) से यह आश्वस्त हो लें कि उनके ग्राम पंचायत में उपलब्ध कराये जा रहे Interner Service में Static Public IP हो।

उक्त परिप्रेक्ष्य में निदेश दिया जाता है कि लखीसराय जिलान्तर्गत 14 क्रियाशील ग्राम पंचायतों में Statics Public IP उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय, ताकि आधार सेवा प्रदायगी में UIDAI के सभी तकनीकी मानकों का अनुपालन किया जा सके।

अनुलग्नकः– प्रासंगिक पत्र की प्रति।

विश्वासभाजन

(ह०) 21/5/2026

जिला पंचायत राज पदाधिकारी,
लखीसराय।

पत्रांक–2प / वि०–17–119 / 2018/8075/ पं०रा०

बिहार सरकार

पंचायती राज विभाग

प्रेषक,

नजर हुसैन,
अपर सचिव

सेवा में,

सभी जिला पंचायत राज पदाधिकारी,
बिहार।

पटना, दिनांक 25/5/2026

विषय:– पंचायत सरकार भवन में आधार (AADHAAR) सेवा प्रारंभ करने हेतु Internet के Technical Specification के संबंध में।

प्रसंग:– विभागीय पत्रांक–4032 दिनांक 09.03.2026, पत्रांक–4975 दिनांक 25.03.2026,पत्रांक–5600 दिनांक 09.04.2026, पत्रांक–6696 दिनांक–30.04.2026एवं पत्रांक–7289 दिनांक–12.05.2026।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्रों के माध्यम से प्रथम चरण में कुल 2000 ग्राम पंचायतों के पंचायत सरकार भवनों में आधार सेवा प्रदान किये जाने के संबंध में विस्तृत दिशा–निर्देश विभाग स्तर से निर्गत किया गया है।

इस संदर्भ में सम्यक विचारोपरान्त दिनांक 21.05.2026 से उन सभी 2000 पंचायत सरकार भवनों में आधार की सेवाएं प्रारंभ कराये जाने का निर्णय लिया गया है।

आधार की सेवाएँ प्रदान करने हेतु ग्राम पंचायतों में उपलब्ध Computer में Internet/Ethernet की सुविधा होना अनिवार्य है। UIDAI के मानक के अनुसार Internet का **Static Public IP** उपलब्ध कराया जाना आवश्यक है। इस आलोक में सभी संबंधित पदाधिकारी / कर्मी अपने ISP (Internet Service Provider) से यह आश्वस्त हो लें कि उनके ग्राम पंचायत में उपलब्ध कराये जा रहे Internet Service में **Static Public IP** हो।

अतः अनुरोध है कि इस आशय की सूचना अपने जिलान्तर्गत सभी संबंधित पदाधिकारी / कर्मी को दिया जाय ताकि आधार सेवा प्रदायगी में UIDAI के सभी तकनीकी मानकों का अनुपालन किया जा सके।

विश्वासभाजन

नजर 25/5/26
(नजर हुसैन)
अपर सचिव

ज्ञापांक–2प0 / वि०–17–119 / 2018/8075/पं०रा०   पटना,दिनांक 25/5/2026

प्रतिलिपि:–सभी जिला पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

नजर 25/5/26
(नजर हुसैन)
अपर सचिव

D:\VITTE 2026\NIRAJ SIR\PSB LETTER.docx